रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232926
CG-DL-E-27012022-232926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943
No. 46]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/ MAGHA 7, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 46(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप निदेशक (वित्त) और सहायक निदेशक (वित्त) समूह 'क' और समूह 'ख' पद के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, वित्त प्रभाग, समूह क और समूह ख पद, भर्ती नियम, 2022 है।

(2) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन:—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में निर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है, कि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लिखित में किए गए आदेश पर कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सिद्धि भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.. उप निदेशक (वित्त)	03* *2021- (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा- अननुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	लेवल- 11 (रु. 67700-208700) वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका: चाहे सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा / समामेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा किया जाना है
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति

			केंद्र सरकार के अंतर्गत संगठित समूह क लेखा सेवा के अधिकारी:— (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग; या में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो या (i) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष में स्तर 10 (रुपये 56100-177500) में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा के साथ; और (ख) केंद्रीय सरकार से बजट और लेखा में अनुभव सहित वित्त में पांच साल का अनुभव टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-काडर पद पर साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक निदेशक (वित्त)	04* *2011 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा- अननुसचिवीय राजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (रु. 47600-151100)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारी:- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (i) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष में स्तर 7 (रु. 44900-142400) में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में दो वर्ष की सेवा के साथ; और (ख) केंद्रीय सरकार से वित्त में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि

			(अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-काडर पद पर साधारणतया पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं.एस.12012/210/2019-एनएचए]

डॉ. प्रवीण एन. गेडाम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(National Health Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2022

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Joint Secretary/Executive Director (Finance), Deputy Director (Finance), Assistant Director (Finance) and Assistant Section Officer (Finance) Group A and Group B posts in the National Health Authority, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Health Authority, Finance Division, Group A and Group B posts. Recruitment Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application: - These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, Level in pay matrix. - The number of posts their classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications, and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification: - No person,—

   (1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (2) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion, on a request made in writing by the National Authority that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, in consultation with the Union Public Service Commission, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in Pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deputy Director (Finance)	03* Three) *2019 (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service- Non-Ministerial. Gazetted Group 'A'	Level- 11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or promotion or deputation/by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or by deputation/absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Deputation	<u>Deputation</u> Officers under the Central Government belonging to organised Accounts Service (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing five years experience in Finance including experience in Budget and Accounts. Note:1- The period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note:2.The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications:

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 Assistant Director (Finance)	04* (Four) *2019 (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service- Non-Ministerial. Gazetted Group 'B'	Level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Deputation	<u>Deputation (Including short term contract)</u> Officers under the Central Government - (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 7Rs. (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing two years' experience in Finance in Central Government Note-1. The period of deputation) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note-2. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[No. S. 12012/210/2019-NHA]

Dr. PRAVEEN N GEDAM, Addl. Chief Executive Officer (J.S. Level)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.27 17:15:39 +05'30'